

कार्यालय कलेक्टर जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर (छ.ग.)

चिन्हांकित आधार केंद्र में कार्य करने हेतु आवेदन प्रक्रिया

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेण्टर सिविल लाइन्स रायपुर के पत्र क्रमांक 193/CEO/CHIPS/ आधार/2025 Raipur Date 07.05.2025 के निम्न शासकीय स्थानों पर ही आधार पंजीयन केन्द्रों का संचालन किया जाना है, अतः जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर द्वारा निम्न स्थान हेतु आधार कार्य करने के लिए आवेदन कार्यालय, बंद लिफाफे में कलेक्टर जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर में कार्यालयीन समय में दिनांक 21.07.2025 तक किया जा सकता है।

क्षेत्र	शासकीय कार्यालय	संख्या
नगर पालिक निगम, बिलासपुर	जिला कलेक्टर	2
	कार्यालय नगर पालिक निगम	2
	जिलापंचायत	1
	कार्यालय तहसील बिलासपुर	1
	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बिलासपुर	1
जनपद पंचायत बिल्हा	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बिल्हा	1
	कार्यालय जनपद पंचायत बिल्हा	1
	कार्यालय तहसील बिल्हा	1
	कार्यालय तहसील बोदरी	1
	कार्यालय तहसील बेलतरा	1
	कार्यालय नगरपालिका बोदरी	1
	कार्यालय नगरपंचायत बिल्हा	1
जनपद पंचायत कोटा	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोटा	1
	कार्यालय जनपद पंचायत कोटा	1
	कार्यालय तहसील कोटा	1
	कार्यालय तहसील रतनपुर	1
	कार्यालय तहसील बेलगहना	1
	कार्यालय नगरपंचायत कोटा	1
	कार्यालय नगरपालिका रतनपुर	1
जनपद पंचायत तखतपुर	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) तखतपुर	1
	कार्यालय जनपद पंचायत तखतपुर	1
	कार्यालय तहसील तखतपुर	1
	कार्यालय तहसील सकरी	1
	कार्यालय उपतहसील गनियारी	1
	कार्यालय उपतहसील सकर्रा	1
	कार्यालय नगरपालिका तखतपुर	1
जनपदपंचायत मस्तूरी	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) मस्तूरी	1
	कार्यालय जनपद पंचायत मस्तूरी	1
	कार्यालय नगरपंचायत मस्तूरी	1
	कार्यालय तहसील मस्तूरी	1
	कार्यालय तहसील सीपत	1
	कार्यालय तहसील पचपेडी	1
	कुल	34

जिले में शासकीय कार्यालय में आधार ऑपरेटर की नियुक्ति चयन मापदंड के आधार पर होगी और अंतिम निर्णय “कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर” का होगा।

आधार केंद्र संचालक हेतु अहर्ताएं :

1. शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट/सेकेंडरी) या 2 वर्ष ITI (10+2) या 3 वर्ष डिप्लोमा (10+3) उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र/अंक सूचि |(स्व हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र/अंक सूचि प्रति लगाया जाना होगा)
2. 1 जनवरी 2025 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो | (आयु प्रमाण के संबंध में शैक्षणिक अंकसूचि/जन्म प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रति लगाया जाना होगा)
3. बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक होगा जिस हेतु कंप्यूटर से सम्बंधित वैध प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा न्यूनतम एम.एस.ऑफिस, डिग्री/डिप्लोमा मान्य होगा।
4. UIDAI के नवीन दिशा निर्देश अनुसार NSEIT से वैध आधार सुपरवाईज़र/ऑपरेटर का प्रमाणपत्र होना आवश्यक होगा।
5. एनरोलमेंट एजेंसी चिप्स (कोड-2084) अंतर्गत बिलासपुर जिले में पूर्व से कार्य कर रहे ऑपरेटर जिनकी आई.डी. जिला कार्यालय बिलासपुर के माध्यम से बनाई गई है वे ही आवेदन हेतु पात्र होंगे एवं उनके कार्यरत नगर पालिक निगम बिलासपुर क्षेत्र एवं जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत शासकीय कार्यालय के लिए ही आवेदन मान्य किए जाएंगे। पात्र आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ही अन्य जनपद पंचायत क्षेत्र के आवेदन पर विचार किया जाएगा। जिसका निर्णय “कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर” द्वारा लिया जाएगा।
6. आधार केंद्र संचालन हेतु स्वच्छ छवि होना आवश्यक है- इस हेतु सम्बंधित थाने से ऑपरेटर को कोई अपराधिक रिकॉर्ड दर्ज न होने का चरित्र प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो नियुक्ति के पूर्व सम्बंधित पुलिस थाने से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. शासकीय निर्देशों की अव्हेलना पर जिला कार्यालय या किसी अन्य शासकीय संस्था द्वारा सेवा/कार्य से पृथक न किया गया हो।
8. जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी चयन पश्चात आधार पंजीयन केंद्र के शासकीय कार्य स्थल में परिवर्तन हेतु निर्णय ले सकेगी।
9. आधार केंद्र संचालन हेतु आवेदक का बिलासपुर जिले का निवासी होना आवश्यक है, तत्सम्बंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
10. जिले में जिन आधार संचालकों को UIDAI द्वारा उल्लेखित पेनाल्टी राशि का भुगतान एनरोलमेंट एजेंसी चिप्स को खाता क्रं CEO CHIPS RAIPUR, SBI BANK ACCOUNT NO. 44117532197 IFSC SBIN0004286 में कर दिया गया है, उनको भुगतान की गई राशि की रसीद आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगी। यदि उक्त राशि का भुगतान न किया गया हो तो आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा।

चयन मानदंड :

- बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक होगा जिस हेतु कंप्यूटर साक्षरता से सम्बंधित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। न्यूनतम एम.एस.ऑफिस, अथवा डिग्री/डिप्लोमा भी मान्य होगा।
- जिला कार्यालय/ नगरनिगम कार्यालय/ नगरपालिका कार्यालय/ एसडीएम कार्यालय/ तहसील कार्यालय/ जनपदपंचायत कार्यालय/ नगरपंचायत, अन्य शासकीय कार्यालय में कार्यरत आधार केंद्र संचालक को कार्य अनुभव एवं संतुष्टि प्रमाणपत्र सम्बंधित कार्यालय प्रमुख से ले कर प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर 2 अंक अधिकतम 20 अंक। अनुभव की गणना कैलेंडर वर्ष के अनुसार की जाएगी, न्यूनतम 6 माह के अनुभव हेतु 1 अंक प्रदाय

5
110 अक्टूबर

- किया जा सकेगा, 6 माह से कम अनुभव मान्य नहीं किया जाएगा। (उदा० 1 वर्ष 5 माह के अनुभव को 1 वर्ष का अनुभव माना जाएगा एवं 1 वर्ष 11 माह के अनुभव को 1 वर्ष 6 माह का अनुभव मान कर गणना की जाएगी)
- अहर्ता एवं मानदंड पूर्ण करते हुए सर्वाधिक अनुभव धारणकर्ता आधार ऑपरेटर को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
 - उपरोक्त उल्लेखित जानकारी अस्पष्ट/अपूर्ण/त्रुटीपूर्ण होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा एवं त्रुटीपूर्ण जानकारी की स्थिति में विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
 - एक जनपद पंचायत क्षेत्र/ नगर पालिक निगम बिलासपुर के लिए रिक्त पद हेतु रिक्त पद से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त स्थल पर पूर्व से कार्यरत आधार संचालक को उस स्थल के लिए नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
 - नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं जनपद पंचायत स्तर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण पश्चात प्राप्त अंक अनुसार नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं जनपद पंचायत स्तर पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, मेरिट सूची अनुसार प्राथमिकता के क्रम में पूर्व से कार्यरत ऑपरेटर को उसकी इच्छानुसार उसी कार्यस्थल के लिए नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी तत्पश्चात शेष रिक्त स्थल के लिए मेरिट सूची अनुसार काउंसलिंग कर आवेदक के कार्यस्थल चयन अनुसार नियुक्ति दी जाएगी।

चयनित आधार केंद्र संचालक हेतु सेवा शर्तें :

1. चयनित आधार केंद्र संचालक को इस कार्यालय से किसी भी प्रकार का वेतन देय नहीं होगा केवल कार्यालय चिप्स स्टेट डाटा सेण्टर सिविल लाइन्स रायपुर के पत्र क्रमांक 193/CEO/CHIPS/ आधार/2025 Raipur Date 07.05.2025 के बिंदु क्रं 6 के अनुसार सेवा शुल्क आम नागरिकों से लिया जाना होगा।
2. चयनित आधार केंद्र संचालक को एक लाख पचास हजार रूपए का Security Deposit “कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर” के नाम से DD के रूप में जमा करना होगा।
3. चयनित आधार केंद्र संचालक को जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध करना होगा।
4. चयनित आधार केंद्र संचालक को चिप्स कार्यालय रायपुर द्वारा प्रदाय उपकरण के सुरक्षापूर्वक रख रखाव, एवं आवश्यक होने पर मरम्मत कराया जाना होगा साथ ही आधार कार्य/सेवा समाप्ति उपरान्त समस्त उपकरण चालू हालत में सूचीबद्ध करते हुए कार्यालय को वापस सौंपने की पूर्ण ज़िम्मेदारी ऑपरेटर की होगी। अन्यथा स्थिति में लागत मूल्य की वसूली, लागत मूल्य अथवा बाज़ार दर पर जो अधिक हो, सम्बंधित आधार केंद्र संचालक की अमानत राशि से कटौती की जाएगी तथा अतिरिक्त राशि राजस्व राशि वसूली की भाँति की जा सकेगी।
5. चयनित आधार केंद्र संचालक को चिप्स, जिला कार्यालय एवं शासन द्वारा जारी समस्त नियम, निर्देशों, अनुबंध का कडाई से पालन करना होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा शिकायत की स्थिति में जांच सही पाए जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त/ कार्य सेवा समाप्त किया जा सकेगा।
6. चयनित आधार केंद्र संचालक एक माह पूर्व सूचना दे कर एवं प्रदाय उपकरण चालू हालत में वापस कर आधार केंद्र संचालन समाप्त कर सकेगा।
7. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर द्वारा एक माह पूर्व नोटिस दिया जा कर आधार केंद्र संचालन समाप्त किया जा सकेगा।
8. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय “कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर” का होगा।

५११०८५
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आधार ऑपरेटर कार्य हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला ई गवर्नेंस समिति
जिला विलासपुर (छ.ग.)

1. आवेदित विकासखण्ड का नाम :

2. आवेदित कार्यालय की प्राथमिकता क्रम : 1 2

3 4 5

6 7 8

3. आवेदित पद का नाम :
(वर्तमान कार्यक्षेत्र जिस विकासखण्ड में है आवेदन उसी विकासखण्ड से किया जावे)

4. आवेदक का पूरा नाम (हिंदी में) :

आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी कैपिटल लेटर में) :

5. पिता/पति का नाम :

6. जन्मतिथि (अंकों में) :

(शब्दों में) :

(जन्म तिथि के सत्यापन हेतु शैक्षणिक अंकसूची अथवा जन्म प्रमाणपत्र संलग्न करें)

7. आयु (दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में) : वर्ष..... माह..... दिवस.....

8. लिंग (महिला/पुरुष) :

9. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) :

10. स्थाई पता :

11. पत्र व्यवहार का पता :

मोबाइल नंबर :

ई मेल आईडी :

12. विलासपुर जिले का मूल निवास (हाँ/नहीं) :
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाणपत्र संलग्न करें)

13. आधार सर्टिफिकेट नंबर :

वैधता अवधि :

14. UIDAI द्वारा अर्थदण्ड आरोपित - हाँ/नहीं :
यदि हाँ तो, दण्डशुल्क/पेनाल्टी राशि का विवरण

डी.डी. नंबर/नेटबैंकिंग/अन्य माध्यम

ट्रांसेक्शन नंबर का विवरण :

दिनांक राशि बैंक का नाम.....

15. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :

योग्यता	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत (%)
12 वीं			
2 वर्ष ITI (10+2)			
3 वर्ष डिप्लोमा (10+3)			
कंप्यूटर ज्ञान सम्बंधित प्रमाणपत्र (डिप्लोमा/डिग्री)			

उपरोक्त शैक्षणिक व अन्य योग्यता संबंधित प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

16. कार्यानुभव मापदण्ड के अनुसार :

17. आवेदन पत्र के साथ आवेदित पद में उल्लेखित अनिवार्य समस्त दस्तावेज स्व प्रमाणित कर संलग्न करें एवं नीचे संलग्न दस्तावेजों का विवरण भरें :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

टीप:- आवेदन पत्र समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए। लिफाफे के ऊपर “आधार ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र” अनिवार्यतः अंकित हो। अपूर्ण एवं बिना दस्तावेज संलग्न किए आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

स्व-घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पात्रता एवं उक्त पद हेतु उपबंध एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा इस आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य पाए जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है एवं मुझे कोई सूचना दिए बिना मेरी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)